

## आदेश

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्र संख्या: 1231/4सी., दिनांक: 02-05-2024 से जनपद-नैनीताल में मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या: 310/2013 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, लालकुआँ (नैनीताल) के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवम् रूपान्तरित कर नामान्तरण करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या: 483/12-ज्येड.ए.सी./2023-2024, दिनांक: 05-06-2024 से उप जिलाधिकारी, धारी (नैनीताल) को अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्र संख्या: 1231/4सी., दिनांक: 02-05-2024 को संलग्न कर प्रेषित करते हुए चयनित भूमि का प्रस्ताव मय खसरा एवम् नक्शा 03 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। तदक्रम में उप जिलाधिकारी, धारी (नैनीताल) ने अपने पत्र संख्या: 120/र.का./2024, दिनांक: 23-07-2024 से अवगत कराया गया है कि ग्राम-बबियाड़, पट्टी-बबियाड़, तहसील, धारी (नैनीताल) के नॉन ज्येड.ए. खसरा नम्बर: 3007, 4061, 4062 मध्ये 24.660 हे. भूमि का प्रस्ताव पूर्व में कार्यालय तहसीलदार, धारी (नैनीताल) के पत्र संख्या: 379/र.का./क्ष.पू.वृ.रो./2015-16, दिनांक: 24-08-2015 के द्वारा तैयार कर प्रेषित किया गया है। पूर्व में प्रेषित मूल प्रस्ताव के अनुसार चयनित खसरा नम्बर ग्राम-बबियाड़, पट्टी-बबियाड़, के नॉन ज्येड.ए. श्रेणी-9(3)ड के खतौनी खाता संख्या: 48 के खेत नम्बर: 3007 के मध्ये रकबा 3.960 हे., खेत नम्बर: 4061 मध्ये रकबा 13.000 हे. एवम् खेत नम्बर: 4062 मध्ये रकबा 7.700 हे. इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरानों मध्ये कुल 24.660 हे. भूमि को वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण किए जाने हेतु प्रेषित किया गया है। अतः ग्राम-बबियाड़, पट्टी-बबियाड़, के नॉन ज्येड.ए. श्रेणी-9(3)ड के खतौनी खाता संख्या: 48 के खेत नम्बर: 3007 के मध्ये रकबा 3.960 हे., खेत नम्बर: 4061 मध्ये रकबा 13.000 हे. एवम् खेत नम्बर: 4062 मध्ये रकबा 7.700 हे. इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरानों मध्ये कुल 24.660 हे. भूमि वन विभाग, नैनीताल के नाम हस्तान्तरण किए जाने हेतु आख्या मय पूर्व प्रस्ताव एवम् खतौनी, खसरा न नक्शा प्रति सत्यापित कर प्रेषित है।

इस कार्यालय के पत्र संख्या: 483(2)/12-ज्येड.ए.सी./2023, दिनांक: 13-08-2024 से अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) को जनपद-नैनीताल में मा. मुख्यमंत्री घोषणा संख्या: 310/2013 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र, लालकुआँ (नैनीताल) के अन्तर्गत हल्द्वानी बाईपास से हल्दूचौड़ इण्डियन ऑयल डिपो तक मार्ग के निर्माण हेतु 12.33 हे. वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराए जाने हेतु अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) को निर्देशित किया गया।

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल) ने अपने पत्र संख्या: 1340/4सी., दिनांक: 21-05-2025 से अवगत कराया गया है कि परियोजना को पर्यावरण, वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या: 8बी./यू.सी.पी./06/105/2020/एफ.सी./347, दिनांक: 14-06-2023 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उक्त पत्र में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में परियोजना हेतु ग्राम पंचायत, बबियाड़ के खसरा नम्बर: 3007, 4061 तथा 4062 में आवंटित 24.660 हे. सिविल सोयम भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवम् रूपान्तरित कर नामान्तरण करने का अनुरोध किया गया है, ताकि अनुपालन आख्या शीघ्र नोडल अधिकारी को प्रेषित की जा सके।

अ.

उप जिलाधिकारी, धारी (नैनीताल) के पत्र संख्या: 120/र.का./2024, दिनांक: 23-07-2024 से उपलब्ध करवायी गई आख्या एवम् वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 111/XXVII/II/2012-18(120), दिनांक: 09-07-2012, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 260/वि.अनु.-3/2002, दिनांक: 15-02-2002, शासनादेश संख्या: 2173/XXVII(7)50(39)-2015, दिनांक: 17-12-2012 एवम् राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या: 1887/XVIII(II)/2015, दिनांक: 30-07-2015 के आलोक में ग्राम-बबियाड़, पट्टी-बबियाड़, के नॉन ज्येड.ए. श्रेणी-9(3)ड के खतौनी खाता संख्या: 48 के खेत नम्बर: 3007 के मध्ये रकबा 3.960 हे., खेत नम्बर: 4061 मध्ये रकबा 13.000 हे. एवम् खेत नम्बर: 4062 मध्ये रकबा 7.700 हे. इस प्रकार उक्त खसरा नम्बरानों मध्ये कुल 24.660 हे. भूमि वन विभाग, नैनीताल के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उप जिलाधिकारी, धारी (नैनीताल)/तहसीलदार, धारी (नैनीताल) तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति याचक विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे :-

1. उक्त हस्तान्तरित भूमि पर निर्माण कार्य करने से पूर्व विभाग द्वारा नियमानुसार सक्षम स्तर से वित्तीय एवम् प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
2. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
3. हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अनुमोदित एवम् स्वीकृत कार्य के लिए विहित समयावधि के अन्तर्गत किया जाना होगा।
4. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु राजस्व विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. हस्तान्तरित भूमि से लगी हुई राज्य सरकार की अन्य किसी भी भूमि में किसी भी प्रकार का कोई खुर्द-बुर्द नहीं किया जाएगा।
6. यदि विभाग को भूमि की आवश्यकता न हो तो या 03 वर्ष तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो वह पुनः मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जाएगी।
7. हस्तान्तरित भूमि का किसी संस्था/विभाग को बिना राजस्व विभाग के पूर्वानुमोदन के आवंटन अमान्य होगा, अपितु सम्बन्धित विभाग को भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में उपलब्ध भूमि को पुनः राजस्व विभाग को समर्पित करना होगा। राजस्व विभाग को उक्त भूमि की आवश्यकता होने की दशा में वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. हस्तान्तरित भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी। निर्माण कार्य करते समय वन सम्पदा को सुरक्षित रखने का दायित्व सम्बन्धित याचक विभाग का होगा। निर्माण कार्य के दौरान वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में वन विभाग से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है।
9. प्रश्नगत भूमि हस्तान्तरित के पूर्व जमींदारी विनाश एवम् भू-सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-132 के समकक्ष एवम् अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(03)

10. इस सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या: 1132/2011 (एस.एल.पी.)/(सी.) संख्या 3109/2011, श्री जगपाल सिंह एवम् अन्य बनाम् पंजाब राज्यादि में मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा अन्य शर्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
11. हस्तान्तरित की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के बिन्दु संख्या: 01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जाएगी जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

दिनांक: 27-05-2025

ह./  
जिलाधिकारी,  
नैनीताल।

**कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल।**

पत्र संख्या: 13 /12-ज्येड.ए.सी./2024-2025, दिनांक: 29 मई, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, राजस्व अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त एवम् सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रतिलिपि उप जिलाधिकारी, धारी/तहसीलदार, धारी (नैनीताल) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को भू-अभिलेखों में दर्ज करना सुनिश्चित करें।

R- 29/5/25

29/5/25  
(फिंचा राम चौहान),  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवम् राजस्व),  
नैनीताल।

01/07



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383





Book

2776	0.019
2777	0.114
2782	0.1059
2796	0.1041
2798	2.030
2799	0.426
2800 <sub>37</sub>	0.149
2801 <sub>40</sub>	0.78
2802	3.506
2803	1.819
2804	4.187
2822	0.1054
2823	0.111
2825	0.1010
2826	0.201
2827	0.374
2843	0.1055
2881	0.1028
2895	0.055

Book

3417	0.1019
3433	0.1053
3434	0.019
3436	0.1029
3438	0.1004
3458	0.018
3459	0.1034
3462	0.1056
3470	0.1088
3479	0.1008
3484	0.1021
3486	0.1025
3491	0.1004
3499	0.1003
3555	0.1004
3558	0.1020
3566	0.1003
3568	0.1009
3581	0.1004

790	8.644	कार्यालय निर्माणाधीन गौरीमाल के परम संकथा	1477	0.086	
812	0.128	13/12 - कोड सं. शी. / 2024 - 2025 दि. सं. 2978	1478	0.053	
823	0.501	2025 परम विन विभाग उत्तराखण्ड शासन - के शासनादेश सं. 2024 : 111 / XXVII / 11 / 2012	1507	0.123	
853	0.404	18 (D2) दिनांक 03/07/2012 विन विभाग - के शासनादेश सं. 2012 : 260 / वि. अनु. -	1525	2.147	
854	4.214	3 / 2002, दिनांक 15/02/2002, शासनादेश सं. 2002 : 2173 / XXVII (7) 56 (39) - 2005	1527	1.303	
869	0.008	दिनांक 30/07/2015 के आदेश में जग - विभाग के नोन. नोट. सं. श्री 9(3) इ के	1528	0.029	
880	8.006	खर्च के खाना सं. 48 के खर्च नंबर 3007 के अर्थ संख्या 3.960 हे. खर्च	1529	0.036	
900	2.898	नंबर 4061 अर्थ संख्या 13.000 हे. जग - खर्च नंबर 4062 अर्थ संख्या 7.700 हे.	1532	0.048	
921	0.321	इस प्रकार खर्च संख्या न-वर्षा नं. अर्थ संख्या	1539	0.110	
922	0.039	कुल 24.660 हे. प्रामि धन विभाग गौरीमाल	1558	0.094	35
923	0.046	के परम में निर्धारित शर्त / प्रतिबंधों के	1601	0.444	
924	0.045	अधीन निर्धारित शर्तों / प्रतिबंधों के	1631	0.061	
925	0.028	अधीन निर्धारित शर्तों / प्रतिबंधों के	1724	0.020	
926	0.036	अधीन निर्धारित शर्तों / प्रतिबंधों के	1729	1.905	
927	0.039	अधीन निर्धारित शर्तों / प्रतिबंधों के	1755	1.263	40
928	0.041	अधीन निर्धारित शर्तों / प्रतिबंधों के	1756	0.054	
929	0.071	अधीन निर्धारित शर्तों / प्रतिबंधों के	1757	0.039	
947	0.020	अधीन निर्धारित शर्तों / प्रतिबंधों के	1767	0.144	
968	0.033	अधीन निर्धारित शर्तों / प्रतिबंधों के	1768	0.065	
994	0.138	अधीन निर्धारित शर्तों / प्रतिबंधों के	1772	0.389	45

11/10/2025 दिनांक  
श्री 9(3) इ के

99

129